



17/03/2020

वादी वहील उपस्थित। उतिवाही संख्या-  
1 व 2 अनुपस्थित। बीच उतिवाही गवां के समान  
वादी वहील द्वारा पुनः पैरा नहीं विधे गये।  
प्राइमरी पैरा ठरना चाहते हो <sup>2</sup> ~~कवाली~~ <sup>2</sup> ~~जोड़~~  
नेने के पञ्जावली दिनांक 08/06/2020 के पैरा ही।

16/07/2020

08/06/2020

पञ्जावली काज पैरा डी। डोबिन-2019 के  
पलने डोई नही लिमा जमा। नीमाग पीठानी  
कविशारी दिमा डोई के पल्लय दोने के सिवाल  
इलका डोई कागामी दिनांक 08/07/2020 के पैरा डी।

08/07/2020

वादी वहील उपस्थित। उतिवाही संख्या-4 व 5  
की कोर के वहील नै नरपत पुनः द्वारा पडालात-  
नामा मय प्रार्थना-पत्र केतगत कोर-39 निमाग-4  
सपरीत आर 15। वर मय इफलाबेजो की वृत्ति  
भूमि कवाली की सम्पूर्व पञ्जावली मोजा- डुम्पलिया  
के प्येत प्ये न- 476 रडगा- 272 बीघा में के  
सड़क भाडया- कानोड़-पाथोड़ी सड़क के चिमोडिया  
की ठानी पैरा विधे गये जिसे शामिल पञ्जावली  
विमा जाडर पञ्जावली दिनांक 15/07/2020 के पैरा ही।

08/07/2020

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

15/07/2020

प्राची व उत्तिवारी संख्या - 4 व 5 के अधीन  
उपरोक्त। उत्तिवारी संख्या - 4 व 5 के अधीन  
द्वारा अधिनियम-पञ्च कलकत्ता अधिनियम-39 नियम  
4 सपरीत धारा 151 एए के द्वारा इकाय देते हुए  
निवेश विभा गण्य की कारीगण द्वारा एडवोकेट  
अन्तर्गत धारा 100 राबरा अधिनियम के अन्तर्गत  
विभा गण्य तथा साथ ही एडवोकेट अन्तर्गत  
निवेशका सदस्यतावेदों के विरुद्ध की गई,  
कास के इकाई गई काराजी के लोड निर्माण  
विभाग द्वारा सार्वजनिक प्रोजेक्ट के लिए सम्पत्ति  
सदस्य निर्माण मासुधा- डानोड-पाटोडी सदस्य के  
चिमोषिधा की गयी नाम के भूमि अन्वय की  
प्रकिया (न्यायिक) अन्वयते हुए सन्-2010 के  
एड एडवोकेट निर्माण की रूप देखा लेगा इत  
भूमि अन्वय की प्रकिया की गई, कारीगण  
द्वारा उक्त सदस्य की रुकवाने हेतु ही यह  
अन्वय निवेशका अन्वय की गई व यह  
कास पैरा विभा गण्य। यदि कारीगण उक्त  
अन्वय प्रकिया के न्यायिक हेतु कारीगण  
अन्वय की कार्यवाही के विरुद्ध सप्तम न्याया-  
लय में चाराजोही करें व उक्त वाजम्ब  
कास की इसी स्टेज पर ग्यारीज फरमावे।  
उत्तिवारी संख्या - 4 व 5 के अधीन द्वारा  
अन्वय अधिनियम-पञ्च 0-39 नियम 4 सपरीत  
धारा 151 एए मय अन्वय के सम्बंधित  
इकायवेजों का अन्वय उक्त के कास का  
कास धारा 100 RTAet की इसी स्टेज पर  
ग्यारीज विभा जाता है। पञ्चवली फर्मल अन्वय  
द्वारा इत नम्बर के उक्त की दायित्व अन्वय है।

15/07/2020